स्पीड पोस्ट द्वारा

मिसिल सख्या पृविमं/29/52/2016-आरटीआई
भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी भवन, आई एम डी परिसर,
लोधी रोड़, नई दिल्ली,
दिनांक 04/05/2017

सेवा में,

श्री बृजेश कुमार,
107-टी, सैक्टर- 4, डी आई जैड एरिया,
बाबा खडक सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री बृजेश कुमार, 107-टी, सैक्टर- 4, डी आई जैड एरिया, बाबा खडक सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु !

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन दिनांक 27/03/2017(मंत्रालय में 05/04/2017) के संदर्भ में अवलोकन करें ।

2. मंत्रालय के संबंधित अधिकारी द्वारा पृविमं आडी नोट स0 पृविमं /29/55/16-स्था. दिनांक 27/04/2017 के ज़रिये उपलब्ध कराई है, जो आपको सूचनार्थ संलग्न है ।

3 यदि आप इस जवाब के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र के प्राप्त होने से 30 दिनों के अन्दर मंत्रालय के निदेशक (आईसीसी) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को निम्न पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री विवेक मिश्रा,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
पृथ्वी भवन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
भारतीय मौसम विभाग परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -3

भवदीय,

इ. हक

(इ . हक)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं वैज्ञानिक सी'
दूरभाष : 24669521

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

1 निदे॰ (ICC) & प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2 अवर सचिव (स्था.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3 डॉ एन खरे, वैज्ञानिक 'एफ' पारदर्शिता अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4 प्रोटोकॉल (न्यायचार) अनुभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली । – for n.a
5 पीएस, संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6 प्रभारी, सूचना प्रौघौगिकी (श्री कृष्णन) इस जवाब को वेब पर अपलोड करें ।

इ. हक
4/5/17

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(स्थापना अनुभाग)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) 2005 के तहत श्री बृजेश कुमार, 107, टी, सेक्टर -4 डी आई जैड एरिया बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु ।

संदर्भ :- श्री वाई एस चौधरी, माननीय राज्यमंत्री , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार को मंत्रालय /विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान द्वारा अनौपचारिक रुप से प्राप्त कारवाई गई विशेष सुविधाओं से संबंधित ।

आर टी आई अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 पृविमं/29/52/2017-आरटीआई के दिनांक 05/4/2017 के उपरोक्त संदर्भ में श्री बृजेश कुमार, 107, टी, सेक्टर -4 डी आई जैड एरिया बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001 के द्वारा मांगी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मॉगी गई सूचना बिन्दुवार निम्नलिखित है :

सूचना स - 1

क्रम सं0	विन्दुवार	मॉगी गई सूचना	सूचना
1	क	कुल कितने कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध करवाए गए है प्रत्येक का नाम पदनाम सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाया जाए ।	इस मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री वाई एस चौधरी, के कार्यालय में कोई भी अनौपचारिक स्टाफ, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: उप बिन्दु (क) (ख) (ग) व (घ) से संबंधित वांछित सूचना को शून्य है ।
	ख	उपरोक्त कर्मचारियों एव अधिकारी मंत्रालय /विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान से संबद्ध है जहां से वह उपरोक्त माननीय राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए उपलब्ध करवाए गए है उससे संबंधित सूचना तथा उपरोक्त कर्मचारी एवं अधिकारी को कब से उपलब्ध करवाया गया है । कृपया प्रत्येक से संबंधित दिनांक सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाए ।	
	ग	उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अब तक वेतन में कितनी राशि आपके मंत्रालय व मंत्रालय से संबंधित विभाग/उपक्रम/निगम के द्वारा जारी की गयी है । कृपया प्रत्येक से संबंधित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाए ।	
	घ	उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त अन्य मानदेय, भत्ता, हवाई यात्रा,मोबाईल/ टेलीफोन बिल इत्यादि शामिल हैं, को आपके मंत्रालय व मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है तो कृपया प्रत्येक से संबंधित समस्त विवरण उपलब्ध करवाऐ ।	

27/4/17

सूचना सं -2 प्रत्येक से **संबंधित समस्त राशि सहित सूचना उपलब्ध करवाये ।**

क्रम सं0	बिन्दुवार	मॉगी गई सूचना	सूचना
2	2	उपरोक्त संदर्भ में आपके मंत्रालय व मंत्रालय के संबधित उपक्रम/संस्थान के द्वारा उपरोक्त माननीय राज्य मंत्री को एवं उनके मातहत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कितनी बार कब से कब तक गाड़ी /टैक्सी की सुविधा प्रदान की गयी है कृपया प्रत्येक की संबधित सूचना उपलब्ध करवायें ।	**बिन्दु वार 2, 3 तथा 4 के संदर्भ में** मॉगी गई का संबंध मंत्रालय के प्रोटोकॉल (न्यायचार) अनुभाग से है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से यह अनुरोध किया जाता है उक्त सूचना संबंधित अनुभाग से ले ।
3	3	उपरोक्त बिन्दुओं के ध्यानार्थ अनौपचारिक रुप से उपलब्ध कराई गई, उपरोक्त विशेष सुविधाओ को जिस भी नियम, कानून, दिशानिर्देश, प्रक्रिया, मैनुअल आदि के अन्तर्गत आपके मंत्रालय व मंत्रालय के संबधित विभाग/ उपक्रम/ संस्थान के द्वारा उपलब्ध प्रदान किया गया है उसकी सम्पूर्ण सूचना को उपलब्ध करवाऐं ।	
4	4	उपरोक्त बिन्दुओं के ध्यानार्थ अनौपचारिक रुप सुविधाओं को उपलब्ध करवाई गई प्रत्येक विशेष सुविधाओं को उपलब्ध करवाते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 44011/4(S) /2007 –East (B) दिनांक 22/02/2010 और लोक उद्यम विभाग के ज्ञापन संख्या 18 (14)/2001-GM-GL -35 दिनांक 01/02/2002 प्रति संलग्न को ध्यान में रखकर उपलब्ध करवायी गई तो उस विशेष परिस्थितियों को वर्णन कर सम्पूर्ण सूचना को उपलब्ध करवायें ।	
5	5	कृपया आप अपने मंत्रालय व विभाग एवं मंत्रालय के संबधित उपक्रम/संस्थान के उन अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम व पदनाम बताये जिन्होने उपरोक्त लाभ एवं सुविधाऐ माननीय राज्य मंत्री को उपलब्ध कराने में सहयोग/स्वीकृति दी है तथा उक्त लाभ व विशेष सुविधाएँ दिलानें में अगर इन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो इन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्व जो विभागीय कार्यवाही की जा सकती है इस संबन्ध में विभिन्न कानून, नियम, दिशा-निर्देश ,प्रक्रिया , मैनुअल आदि लागू होते हो कृपया इससे संबधित संपूर्ण विवरण सहित सूचना उपलब्ध करवाए ।	जहां तक स्थापना अनुभाग का संबंध है वांछित सूचना शून्य है । तथापि केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि प्रोटोकोल अनुभाग से बिन्दु वार 2, 3, एवं 4 के मध्यनजर वांछित सूचना यदि हो तो नयाचार (प्रोटोकोल) अनुभाग से ले।
6	6	कृपया मुझे मेरे इस आवेदन से संबंधित दस्तावेज, काग़ज़ात, जिसमें नोटिंग पोजिशन, कोरसपोडेस पोजिशन एवं अन्य पत्रावलि, जो भी हो उनकी प्रतियो को उपलब्ध करवाया जाये एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (2) (जे) के अर्न्तगत अवलोकन/निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाये ।	बिन्दु 1 (क) (ख) (ग) व (घ) के उत्तर के अनुसार सूचना शून्य है । बिन्दुवार 2, 3, 4, एवं 5 में कोई सूचना संबंधित अनुभाग कि है तो जनसूचना अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचना से संबंधित कागजात प्रोटोकोल अनुभाग से प्राप्त करे ।

2. यह उपसचिव (स्था0) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(कैलाश चन्द)
अवर सचिव, भारत सरकार

श्री ई0 हक, वैज्ञानिक सी एवं सी पी आई ओ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

पृ वि मं स्था0 आई डी नोट पृ वि मं 29/55/2016-स्था0 दिनांक 27/4/2017

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निदेशक, प्रधान डाकघर, नई दिल्ली–110001

सेवा में

केन्द्रीय लोक जन सूचना अधिकारी
Ministry of Earth Sciences,
महासागर भवन, ब्लाक -12, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

पत्रांकः–बी–2 / विविध–867 / सू0 का अ0 अधि0'05 / 2016–17 दिनांक: 31-03-2017

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना।**

आपको यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 27-03-2017 को **श्री बृजेश कुमार, 107-T डी आई जेड एरिया, सेक्टर-4, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001** का आवेदन पत्र, दिनांक 27-03-2017, **इस कार्यालय में** प्राप्त हुआ **जिस**के सदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, प्राप्त आवेदन पत्र आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता ह कि आप **वांछित सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध कराएँ,** क्योंकि यह आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के **सेक्शन** 6(3) के अंतर्गत उपरोक्त आवेदन आपको स्थानांतरित किया जाता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत 10 रु. का पोस्टल ऑर्डर (नं. 38एफ 161956) इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त

(शिवराज खिडिमठ)
कें. स. लो. सू. अ. एवं
सहायक निदेशक (प्रशासन)
प्रधान डाकघर, नई दिल्ली–110001

प्रतिलिपि :–

श्री बृजेश कुमार, 107-T, डी आई जेड एरिया, सेक्टर-4, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001 – को सूचनार्थ।

57/RTI/2017
6/04/17

(867)

(33)

दिनांक : 27.03.2017

प्रेषक : बृजेश कुमार
पूर्व निजी सचिव, श्री विजय सांपला
माननीय संसद सदस्य रहने के दौरान एवं जो कि
वर्तमान में माननीय राज्यमंत्री भारत सरकार हैं
107-T सेक्टर-4, डी आई जेड एरिया
बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001
मो. 09891572343 ई-मेल : brijeshrti@gmail.com

प्रेषिती : केंद्रीय् जनसूचना अधिकारी
Ministry of Earth Sciences.
Mahasagar Bhawan, Block-12,
C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना।

नोट : यह सूचना का आवेदन केवल माननीय ~~मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)~~/राज्यमंत्री के कार्यालयों में मंत्रालयों/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित संस्थान/उपक्रम द्वारा प्राप्त कराए गए अनौपचारिक (informal) स्टाफ एवं अतिरिक्त उपलब्ध कराई विशेष सुविधाओं से संबंधित है। कृपया औपचारिक (Formal) स्टाफ से संबंधित सूचना को सम्मिलित न किया जाए।

संदर्भ : Sh. Y. S. Chowdary ...... माननीय ~~मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)~~/राज्यमंत्री, M/o - Earth Sciences ..... भारत सरकार को मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान द्वारा अनौपचारिक रूप से प्राप्त करवाई गई विशेष सुविधाओं से संबंधित।

आदरणीय महोदय,

कृपया निम्नांकित सूचना एवं उस सूचना, जिसका अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत किया गया है, के सभी प्रत्येक बिंदु के उत्तर की पुष्टि में भलीभांति प्रमाणिक दस्तावेजों/अभिलेखों की विधिवत प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सूचना उपलब्ध कराएं एवं मुझे संबंधित कार्यालय से मूल अभिलेख/दस्तावेज अवलोकित/निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि कार्यालय में मौलिक अभिलेख/दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत मांगी गयी विशेष सूचना की यथाविधि प्रमाणित मूल दस्तावेजों/अभिलेखों की मांगानुसार देय शुल्क भुगतान कर प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर सकूं।

1. उपरोक्त संदर्भ में आपके मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान के द्वारा उपरोक्त माननीय ~~मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)~~/राज्यमंत्री को उनके कार्यालयों में अनौपचारिक स्टाफ में उपलब्ध करवाए गए कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संबंधित निम्न उपबिंदुओं पर सूचना को उपलब्ध करवाया जाए।

(क) कुल कितने कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध करवाए गए हैं कृपया प्रत्येक का नाम, पदनाम सहित संपूर्ण विवरण को उपलब्ध करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त कर्मचारी एवं अधिकारी मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान से संबद्ध है जहां से वह उपरोक्त माननीय ~~मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)~~/राज्यमंत्री की सहायता करने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं उससे संबंधित सूचना तथा उपरोक्त कर्मचारी एवं अधिकारी को कब से उपलब्ध करवाया गया है। कृपया प्रत्येक से संबंधित दिनांक सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं।

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अब तक वेतन में कितनी राशि आपके मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान द्वारा जारी की गयी है। कृपया प्रत्येक से संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं।

(घ) उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ता/राशि जिनमें यात्रा भत्ता, हवाई यात्रा, मोबाईल/टेलीफोन बिल इत्यादि शामिल हैं, को आपके मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है, तो कृपया प्रत्येक से संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं।

2. उपरोक्त संदर्भ में आपके मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान के द्वारा उपरोक्त माननीय ~~मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र-~~

BRIJESH KUMAR
R.T.I. Activist
107-T, D.I.Z. Area,
Sec-4, B.K.S. Marg,
New Delhi-110001

GPO, NEW DELHI-110001
Counter
27 MAR 2017

क्रमशः...2

~~(प्रभार)~~/राज्यमंत्री को एवं उनके मातहत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कितनी बार कब-से-कब तक गाड़ी/टैक्सी की सुविधा प्रदान की गई, कृपया प्रत्येक से संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं।

3. उपरोक्त बिंदुओं के ध्यानार्थ अनौपचारिक रूप से उपलब्ध कराई गई उपरोक्त विशेष सुविधाओं को जिस भी नियम, कानून, दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, मैनुअल आदि के अंतर्गत आपके मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है, तो कृपया प्रत्येक से संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं।

4. उपरोक्त बिंदुओं के ध्यानार्थ अनौपचारिक रूप से उपलब्ध कराई गई प्रत्येक उपरोक्त विशेष सुविधाओं को उपलब्ध करवाते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44011/4(S)/2007-East(B) दिनांक 22.2.2010 और लोक उद्यम विभाग के ज्ञापन संख्या 18(14)/2001-GM-GL-35 दिनांक 1.2.2002 को ध्यान में रखकर उपलब्ध करवायी गई है, तो उस विशेष परिस्थिति का वर्णन कर संपूर्ण सूचना को उपलब्ध करवाएं।

5. कृपया आप अपने मंत्रालय/विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित उपक्रम/संस्थान के उन अधिकारियों के नाम व पदनाम बताएं जिन्होंने उपरोक्त लाभ व विशेष सुविधाएं उपरोक्त माननीय ~~मंत्री/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)~~/राज्यमंत्री को उपलब्ध करवाने में सहयोग/स्वीकृति प्रदान की है तथा उक्त लाभ व विशेष सुविधाएं दिलाने में इन्होंने अगर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध जो भी विभागीय कार्यवाही की जा सकती है इस संबंध में जो भी नियम, कानून, दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, मैनुअल आदि लागू होते हों, कृपया इससे संबंधित संपूर्ण विवरण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं।

6. कृपया मुझे उक्त आवेदन से संबंधित समस्त दस्तावेज/कागजात, जिसमें Noting Position, Correspondence Position एवं अन्य पत्रावली जो भी हो उनकी प्रतियों को उपलब्ध करवाया जाए एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(J) के अंतर्गत अवलोकन/निरिक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समय अवधि के अंतर्गत हस्तांरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पता व फोन नं. सहित अवश्य बताएं व कृपया इस संबंध में कोई प्रतिकूल निर्णय लिए जाने के पूर्व मुझे अथवा मेरे अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

अत: आपसे अनुरोध है कि मांगी गई सूचना को क्रमवार प्रत्येक बिंदुओं पर सुसंगत सूचना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रु. 10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर/नकद जिसका नं. 38F 161956 है, को संलग्न कर रहा हूं।

सादर,

धन्यवाद

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.03.2017

आवेदक

बृजेश

(बृजेश कुमार)

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता

BRIJESH KUMAR
R.T.I. Activist
107-T, D.I.Z. Area,
Sec-4, B.K.S. Marg,
New Delhi-110001

By hand

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

No.:NSFDC/ADMN./467/14-15/ 3399

2nd December, 2014

CIN: U93000DL1989NPL034967

Shri Brijesh Kumar
Addl. PS to MoS
O/o Minister of State for Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan
New Delhi

Sir,

Please refer to your fax dated 25.11.2014 regarding continuation of the vehicle attached to the office of MoS till the Parliament session is going on.

In this connection, approval of Competent Authority is hereby conveyed for continuing with the services till the conclusion of the Parliament session i.e. on 23.12.2014, as an exceptional case. Copies of the Office Memorandum No.44011/4(s)/2007-East (B) dated 22.02.10 of DOPT and No.18(14)/2001-GM-GL-35 dated 01.02.2002 of Dept. of Public Enterprises (DPE) are enclosed for reference please.

Thanking you,

Yours sincerely,

(DEVANAND)
Dy General Manager

Encls. : As above.

पंजीकृत एवं प्र. का. : 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core - 1 & 2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
दूरभाष/Tel. : 22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 22054395, 22054349
E-mail: nsfdc@bol.net.in • Website: www.nsfdc.nic.in

278/C

MOST IMMEDIATE

No.44011/4(s)/2007-Estt.(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
*****

New Delhi, dated the 22nd February, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Utilisation of the facilities of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) – Instructions regarding.

The undersigned is directed to say that the utilization of facilities from Central Public Sector Enterprises by officials of Ministries/Departments administering the respective CPSEs has been under the review of the Government. The issue was considered by the Committee of Secretaries and thereafter by a smaller group of Secretaries consisting of Secretary(DOP&T), Secretary (Expenditure) and Secretary, Department of Public Enterprises. Comments and views of various Ministries were obtained.

2. It is noted that the Government has already liberalized procurement of computers for official purpose and laptops can be given to Deputy Secretary and above levels on functional requirement basis. Reimbursement of telephone charges has been fixed at a liberal scale. Purchase of new vehicles on functional requirement is being permitted and instructions also exist for hiring of private vehicles to augment the Government fleet to meet functional requirements. Facilities like fax, AC etc. to individual officers are provided by the concerned Ministries as per requirements. The ceiling on consumption of diesel/petrol in staff car has been fixed at a reasonable level. Therefore, the existing instructions already cater to the issue of providing requisite facilities to officers based on the requirements of modernising Government offices.

3. On the findings of the above Committee, the Government has decided that there is no need to access any infrastructure facilities of the CPSEs by the officials of the Central Government. The Ministries/Departments are accordingly requested to issue suitable instructions to all concerned for not utilising the infrastructure of any CPSEs by the officers/staff in the Government Departments and that any such use shall attract suitable action against them. Any manpower/other facilities from CPSEs already being availed by the Ministries/Departments will be returned by the concerned Ministries at the earliest and definitely before 31st March 2010. If, for any exceptional circumstances, any officer, for a bonafide purpose related with official duties connected with the CPSE entrusted to him, has to utilise the facility from a CPSE, the Secretary in the Ministry/Department will have to authorise such usage for specific period after careful assessment of the situation.

It is clarified that the above guidelines shall also be applicable to use of facilities from autonomous organizations under the Government.

(C.A. Subramanian)
Director (E-II)

To

The Secretaries of all the Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to :

(i) The Cabinet Secretariat w.r.t. their ID No.252/2/1/2008-CA.III dated 5.2.2010.
(ii) D/o Public Enterprises.
(iii) AVD. I Section, DOPT w.r.t. its file No.104/71/2006-AVD.I.
(iv) The Central Vigilance Commission.

भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES
DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

लोक उद्यम भवन
PUBLIC ENTERPRISES BHAVAN,
ब्लाक नं. 14, सी. जी. ओ. कम्पलेक्स, लोदी रोड,
BLOCK NO. 14, CGO COMPLEX, LODI ROAD

No. 18(14)/2001-GM-GL-35 नई दिल्ली/NEW DELHI, the 1st February, 2002

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recommendations of the Expenditure Reforms Commission regarding informal arrangements.

The Expenditure Reforms Commission in its Tenth Report relating to the Department of Expenditure has made general recommendations which are not covered under various reports submitted by the Commission. One such recommendation relates to 'informal arrangements' and is reproduced below:-

7.41 There should be a prohibition on drafting of officials from the PSUs to work "informally" in the offices of ministers/ministries; that is to say, an arrangement by which they continue to draw their emoluments from their parent organisations but work in a ministry or are attached to the offices of ministers. If any minister/ ministry needs staff in excess of the sanctioned strength, then it would have to be justified before the Cabinet.

2. All the administrative Ministries/Departments are requested to take note of the above recommendations for information and guidance. The Public Enterprises under their administrative control may also be advised suitably in the matter.

(C.C. Unnikrishnan)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Phone: 4360624

All administrative Ministries/Departments
(Secretaries by name)

Copy to:-

1. Ministry of Finance, Department of Expenditure, (Ms. Usha Mathur, Joint Secretary), North Block, New Delhi with reference to D.O. No. 1(91)E-Coord./2001 dated 29.11.2001.
2. Financial Advisers of all administrative Ministries/Departments.
3. Chief Executives of all Central Public Enterprises.
4. Heads of Divisions in DPE.

(C.C. Unnikrishnan)
Deputy Secretary to the Govt. of India